60/139 10775/06

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 848637

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	हसनपुर खेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–156, 157, 161
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.266 हेक्टेअर

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 848638

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	रू0 50,000/–
9.	बोरिंग/कुआ/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 4,92,765/–
11.	मालियत	:	रू0 4,15,750/–
12.	स्टाम्प	:	रू0 49,300/–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 263051

चौहद्दी

खसरा न0 156

पूरब	: खसरा संख्या–160
पश्चिम	: खसरा संख्या–155, 189
उत्तर	: खसरा संख्या–188
दक्षिण	: खसरा संख्या–160

खसरा न0 157

पूरब	: खसरा संख्या–160
पश्चिम	: खसरा संख्या–155, 189

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 263040

उत्तर	: खसरा संख्या–188
दक्षिण	: खसरा संख्या–160
	खसरा न0 161
पूरब	: खसरा संख्या–159, 155
पश्चिम	: खसरा संख्या–162
उत्तर	: खसरा संख्या–160
दक्षिण	: खसरा संख्या–162

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 263041

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
परीदीन पुत्र बुद्धू निवासी –ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ	:	बुद्दी लाल पुत्र शिवदास निवासी–मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0
व्यवसाय – कृषि		व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 104603

A.T.O/T.O. TRY.LKO.

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख परीदीन पुत्र बुद्धू निवासी –ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् बुद्दी लाल पुत्र शिवदास निवासी–मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–156 रकबा 0.038 हेक्टेअर व खसरा संख्या–157 रकबा 0.114 हेक्टेअर, खसरा संख्या–161

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 104604

रकबा 0.114 हेक्टेअर कुल 3 किता व कुल रकबा 0.266 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 299 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में को हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 104605

विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 104606

इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 **4,92,765/–** (रूपया चार लाख बानबे हजार सात सौ पैसठ मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता **बुद्दी लाल पुत्र शिवदास** निवासी–मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 198930

15 DEC 2006

अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 198931

15 DEC

के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वाामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 198932

इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देनें हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व

का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगा।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 13,75,000/— प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.266 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,65,750/— होती है उक्त भूमि पर पाँच शीशम, एक नीम, एक इमली, एक चिलविल, दो शरीफा के पेड़ हैं जिनकी कुल मालियत रू0 50,000/— होती है इस प्रकार विक्रीत सम्पत्ति की कुल मालियत रू0 4,15,750/— होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 49,300/— जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित

जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–156 रकबा 0.038 हेक्टेअर व खसरा संख्या–157 रकबा 0.114 हेक्टेअर, खसरा संख्या–161 रकबा 0.114 हेक्टेअर कुल 3 किता व कुल रकबा 0.266 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ,।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू0 4,92,765/– (रूपया चार लाख बानबे हजार सात सौ पैंसठ मात्र) द्वारा चेक संख्या–402511 दिनांकित 18.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

विक्रय पत्र

492,765.00/	416,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती परीदीन
पुत्र / पत्नी श्री बुद्ध
पेशा कृषि
निवासी स्थायी ग्राम हसनपुर खेवली पर.बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 18/12/2006 समय 6:47PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
18/12/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती परीदीन
पुत्र/पत्नी श्री बुद्ध
पेशा कृषि
निवासी ग्राम हसनपुर खेवली पर.बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ

क्रेता
श्री/श्रीमती बुददी लाल
पुत्र/पत्नी श्री शिवदास
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो.नवगाँव जिला फतेहपुर उ.प्र.

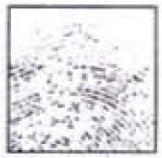

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार सिन्हा
पुत्र श्री स्व.जी.सी.सिन्हा
पेशा नौकरी
निवासी 288 आर्यानगर लखनऊ

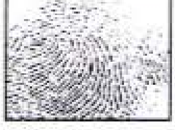

व श्री कुलदीप
पुत्र श्री श्रीबाबा दीन
पेशा व्यापार
निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ

ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
18/12/2006

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 4,92,765/– (रूपया चार लाख बान्नबे हजार सात सौ पैसठ मात्र) विक्रेता ने क्रेता प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक: 18.12.2006

गवाह

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्ज़र हुसैन)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 10775 Year : 2006 Book No. 1

0101 परीदीन

वृद्ध

ग्राम हसनपुर खेवली पर.बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:– प्रदीप पुत्र ... नि० ग्राम हसनपुर रेवली परगना बिजनौर तह० व जि० लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

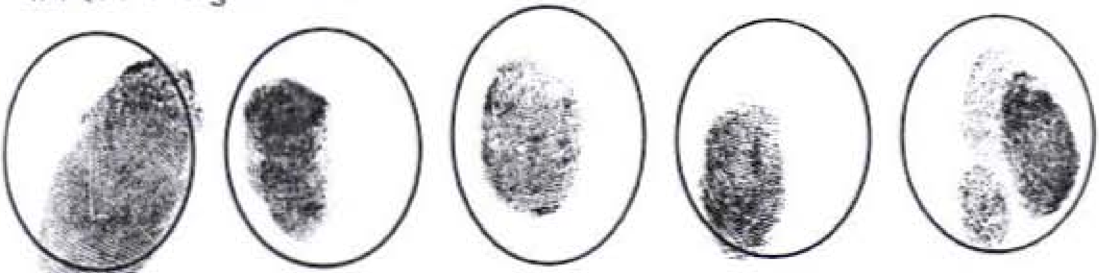

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

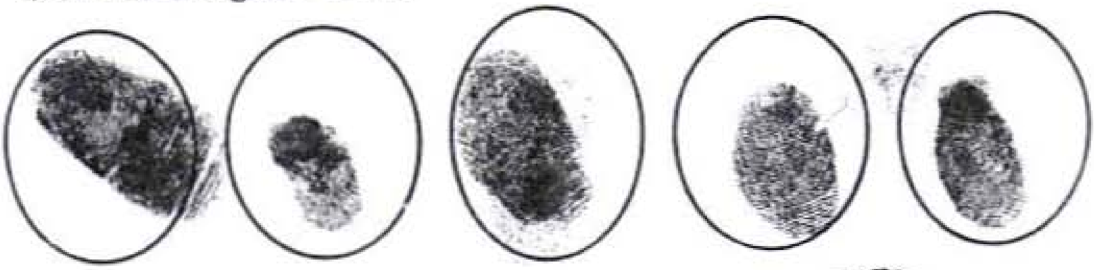

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:– ... पुत्र ... निवासी ... फतेहपुर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

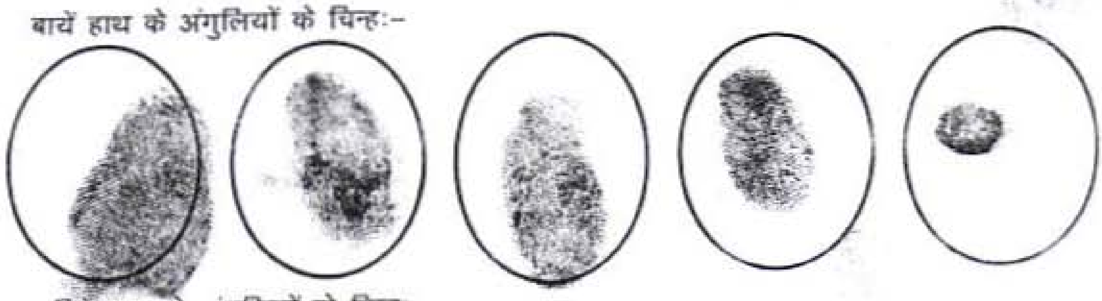

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

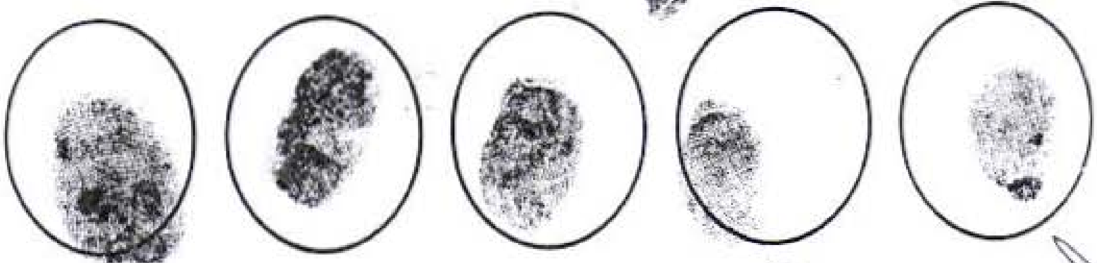

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 10775 Year : 2006 Book No. 1

0201 बुद्दी लाल

शिवदास

ग्राम मिर्जापुर मिटारी पो.नरगौव जिला फतेहपुर उ.प्र.

गृहिणी

नक्शा नजरी

ग्राम : खानपुर रेवली

खसरा संख्या– 156, 157, 161

विक्रेता : पतीदीन

क्रेता : कुद्दीलाल

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

नि० अ० पतीदीन

नि० अ० कुद्दीलाल

आज दिनांक **18/12/2006** को

वही सं **1** जिल्द सं **7991**

पृष्ठ सं **257** से **290** पर कमांक **10775**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

18/12/2006